

इंदौर विकास प्राधिकारी की योजना क्र. 140 आनदवन फेस-2 में आवासीय उपयोग के 03 प्रकोष्ठों को भू-स्वामी अधिकार पर न्यूनतम कीमत के बराबर या अधिक कीमत पर व्ययन करने हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

अ. क्र.	संपत्ति का विवरण	आरक्षित श्रेणी	कारपेट क्षेत्रफल (व.मी.में)	बालकनी क्षेत्रफल (व.मी.में)	प्रकोष्ठ का सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल (व.मी.में)	न्यूनतम कीमत (रु. लाख में)	अर्नेस्ट गनी (रु. लाख में)
1	D-608 (2-BHK)	सामान्य	84.07	18.44	136.90	110.93	11.09
2	F-701 (2-BHK)	अ.ज.जा.	80.38	18.44	131.80	106.80	10.68
3	F-801 (2-BHK)	अ.ज.जा.	80.38	18.44	131.80	106.80	10.68

ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की तिथियाँ

अ.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र कय करने की आरम्भ दिनांक एवं समय	30-03-2026	14:00 hrs.
2	ऑनलाईन अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति राशि) जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय	21-04-2026	18:00 hrs.
3	ऑनलाईन आवेदन एवं ऑफर प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	23-04-2026	18:00 hrs.
4	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र जाँच हेतु खोलने का दिनांक एवं समय	24-04-2026	12:30 hrs Onwards
5	पात्र निविदादाताओं के ऑनलाईन वित्तीय प्रस्ताव खोलने का दिनांक एवं समय	30-04-2026	12:30 hrs

नोट :-

- निविदा एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल <https://www.vikaspradhikaran.mponline.gov.in> पर देखी एवं कय की जा सकती है। निविदा में भाग लेने के लिये आवेदक को पोर्टल पर अपनी लॉग-इन आय.डी. बनाकर प्रोफाइल में आवश्यक जानकारी दर्ज करना होगी। आवेदक ऑनलाईन निविदा स्वयं अथवा एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क सेन्टर के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। एम.पी.ऑनलाईन का हेल्प डेस्क नंबर 0755-6720200 है।
- अर्नेस्ट मनी (प्रतिभूति राशि) का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से ही करना होगा।
- आवेदक को अपनी निविदा मय आवश्यक दस्तावेजों के केवल ऑनलाईन ही प्रस्तुत करना होगा, भौतिक दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करना है।
- सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि (अर्नेस्ट मनी सहित) आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि में जमा कराना होगी एवं शेष प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि आगामी 3 माह की अवधि में अर्थात आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 4 माह की अवधि में जमा कराना होगी। निर्धारित समयावधि में प्रीमियम की राशि जमा न करने पर व्ययन नियम 2018 के नियम 12 अनुसार सम्पत्ति की निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।
- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल प्राधिकारी की वेबसाइट <https://www.idaindore.org> पर ही प्रदर्शित किया जावेगा, जिसे पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।
- योजना का रेरा रजिस्ट्रेशन क्रमांक P-IND-18-2020 है।
- योजना का इ.न.पा.नि. इन्दौर के पत्र क्र. 2006 एवं पत्र क्र. 2008 दि. 04.03.2021 द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिभोग प्रमाण पत्र क्र. 196 एवं 198 दिनांक 18.06.2021 द्वारा प्राप्त।
- निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्राधिकारी को होगा, जिसके लिये कोई कारण नहीं दर्शाया जावेगा।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इंदौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में श्री हेमन्त उपाध्याय (मो. 9893699121) से संपर्क करें,
अथवा प्राधिकारी की वेबसाइट www.idaindore.org पर देखें।